HARYANA VIDHAN SABHA

Bill No. 24— HLA OF 2022

THE HARYANA POLICE (AMENDMENT)

BILL, 2022

A BILL

further to amend the Haryana Police Act, 2007.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Police (Amendment) Act, 2022.

Short title.

2. For section 65 of the Haryana Police Act, 2007 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:-

Substitution of section 65 of Haryana Act 25 of 2008.

- "65. Functions of Authority.- (1) The Authority shall inquire into allegations of serious misconduct as detailed below against police personnel of the rank of Deputy Superintendent of Police and above, on a written complaint received from any of the following:-
- (a) a victim or any person on his behalf on a sworn affidavit;
- (b) the National or State Human Rights Commission.

Explanation.-"serious misconduct" for the purpose of this Chapter shall mean any act of a police officer that amounts to:

- (a) death in police custody;
- (b) rape in police custody;
- (c) grievous hurt in police custody;
- (d) custody or detention without due process of law;
- (e) extortion;
- (f) acquiring property through coercion;
- (g) involvement of police personnel in organized crime:

Provided that the Authority shall inquire into a complaint of such arrest or detention, only if it is satisfied prima facie about the veracity of the complaint:

Provided further that no anonymous, synonymous and pseudonymous complaints shall be entertained.

- (2) The Authority shall not enquire into-
 - (i) any matter where a report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of 1974) has been filed in an appropriate court;

- (ii) any matter pending or that has already been dealt with by the National Human Rights Commission/State Human Rights Commission/National Commission for Scheduled Castes/ State Commission for Scheduled Castes/National Commission for Women/State Commission for Women/ National Commission for Minorities/State Commission for Minorities or State Lokayukta;
- (iii) any matter falling within its jurisdiction after more than three years of its alleged occurrence;
- (iv) any matter arising out of use of force by the police authorities in dealing with any unlawful assembly, protest, dharna, blockage of any public passage or disruption of essential services.
- (3) The Authority may also inquire into any other case referred to it by the Director General of Police or the State Government.
- (4) The Authority shall decide the complaint within a period of six months from the date of its receipt.".

Amendment of section 68C of Haryana Act 25 of 2008.

- 3. In section 68C of the principal Act,-
 - (i) in sub-section (1), the words "either suo moto or" shall be omitted;
 - (ii) for clauses (ii) and (iii) of sub-section (2), the following clauses shall be substituted, namely:-
 - "(ii) any matter pending or has already been dealt with by the National Human Rights Commission/State Human Rights Commission/National Commission for Scheduled Castes/ State Commission for Scheduled Castes/National Commission for Women/State Commission for Women/ National Commission for Minorities/State Commission for Minorities or State Lokayukta;
 - (iii) any matter falling within its jurisdiction after more than three years of its alleged occurrence;".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Police ACT, 2007 (25 of 2008) was enacted by the State of Haryana vide notification dated 02.06.2008. Section 65 of the Haryana Police Act, 2007 provides functions of the State Police Complaint Authority and section 68C of the said Act provides functions of the District Police Complaint Authority with regard to the inquiry into allegations of serious misconduct against the police personnel. However the provisions of sections 65 and 68C of the said ACT are silent in respect of the matters, where a report under section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973 has been filed in an appropriate Court against such police personnel. The said provisions are also silent in respect of the matters pending before the National Commissions and State Commissions constituted under the various Statutes. The time limit for deciding the complaints by the State Police Complaint Authority has also not been prescribed. Accordingly, these provisions need to be incorporated by way of amendment in the Haryana Police ACT, 2007 for proper functioning of the State Police Compliant Authority and the District Police Complaint Authority under the said ACT. Hence, this Bill.

ANIL VIJ, Home Minister, Haryana

Chandigarh: The 9th August, 2022

R.K. NANDAL, Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 9th August, 2022, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

ANNEXURE

EXTRACT FROM THE HARYANA POLICE ACT, 2007

Section 65

- "(1) The Authority shall inquire into allegations of serious misconduct as detailed below against police personnel of the rank of Deputy Superintendent of Police and above as detailed below, either suo motu or on a complaint received from:-
 - (a) a victim or any person on his behalf on a sworn affidavit; or
 - (b) the National or State Human Rights Commission.

Explanation.-"serious misconduct" for the purpose of this Chapter shall mean any act of a police officer that leads to or amounts to-

- (a) rape or attempt to commit rape;
- (b) death in police custody;
- (c) grievous hurt;
- (d) custody or detention without due process of law;
- (e) extortion'
- (f) acquiring property through coercion;
- (g) involvement of police personnel in organized crime:
- (h) in action by police official in any offence as defined in the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) which attracts minimum punishment of ten years or more:

Provided that the Authority shall inquire into a complaint of such arrest or detention, only if it is satisfied prima facie about the veracity of the complaint:

Provided further that no anonymous, synonymous and pseudonymous complaints shall be entertained.".

Section 68C

(2)

Functions of the District Police Complaint Authority:-

(1)	The District Police Complaint Authority shall inquire into allegations
	of serious misconduct as detailed below against police personnel of
	the rank of Inspectors either suo motu or on a complaint received
	from,-

X	 	 	٠.	 	 		٠.	 ٠.	٠.	 .,		 	 		 	 Х	a)	(
X	 	 		 	 	٠.		 		 		 	 	٠.	 	 Х	b)	(
X	 	 						 		 	٠.	 	 		 . . .	 х.	(i)	,

- (ii) any matter pending in National Human Rights Commission/State Human Rights Commission/State Commission for Scheduled Castes;
- (iii) any matter falling within its jurisdiction after more than one year of its alleged occurrence;

9818--H.V.S.--H.G.P., Pkl.

[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2022 का विधेयक संख्या 24—एच०एल०ए० हरियाणा पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2022 हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. यह अधिनियम हरियाणा पुलिस (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता संक्षिप्त नाम। है।
- 2. हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 65 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 65 का प्रतिस्थापन।

"65. प्राधिकरण के कृत्य.— (1) प्राधिकरण, निम्नलिखित में से किसी से भी लिखित शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस उप—अधीक्षक और उससे ऊपर की पदवी वाले पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध नीचे यथा विस्तृत गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच करेगा :—

- (क) पीड़ित या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति के शपथ-पत्र पर ;
- (ख) राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग।

व्याख्या.— इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "गम्भीर कदाचार" का अर्थ होगा किसी पुलिस अधिकारी का कोई कृत्य जो निम्नलिखित की कोटि में आएगा:

- (क) पुलिस हिरासत में मृत्यु ;
- (ख) पुलिस हिरासत में बलात्कार ;
- (ग) पुलिस हिरासत में घोर उपहति ;
- (घ) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना हिरासत या निरोध ;
- (ड.) उददापन ;
- (च) प्रपीड़न के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना :
- (छ) संगठित अपराध में पुलिस कार्मिक का सम्मलित होना :

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत की जांच करेगा, यदि उसकी शिकायत की सत्यता के बारे में प्रथमदृष्टया संतुष्टि हो जाती है:

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक तथा कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएंगी।

- (2) प्राधिकरण निम्नलिखित मामलों की जांच नहीं करेगा:--
 - कोई मामला, जहाँ दंड प्रकिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट, समुचित न्यायालय में दायर की गई है;
 - (ii) कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / राज्य मानवाधिकार आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राज्य अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय महिला आयोग / राज्य महिला आयोग / राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग / राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है ;
 - (iii) किसी मामले के अभिकथित घटने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आने वाला कोई मामला ;
 - (iv) किसी विधिविरुद्ध जमाव, विरोध, धरना, किसी सार्वजनिक रास्ते की रुकावट या आवश्यक सेवाओं में व्यवधान से निपटने में पुलिस प्राधिकरणों द्वारा बल का प्रयोग करने से उत्पन्न कोई मामला।
- (3) प्राधिकरण, पुलिस महानिदेशक या राज्य सरकार द्वारा इसे संदर्भित किसी अन्य मामले की भी जांच कर सकता है।
- (4) प्राधिकरण, शिकायत की प्राप्ति की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर शिकायत का निर्णय करेगा।"।

मूल अधिनियम की धारा 68ग में,—
उप–धारा (1) में. "या तो र

- (i) उप—धारा (1) में, ''या तो स्वप्रेरणा से या'' शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;
- (ii) उप—धारा (2) के खण्ड (ii) तथा (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—
 - "(ii) कोई मामला, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग / राज्य मानवाधिकार आयोग / राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग / राज्य अनुसूचित जाति आयोग / राज्य अनुसूचित जाति आयोग / राष्ट्रीय महिला आयोग / राज्य महिला आयोग / राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग / राज्य अल्पसंख्यक आयोग या राज्य लोकायुक्त में लम्बित है या द्वारा पहले से ही निपटान किया जा चुका है;
 - (iii) किसी मामले के अभिकथित घटने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद इसकी अधिकारिता के भीतर आने वाला कोई मामला;"।

2008 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 68ग का संशोधन।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 (2008 का 25) हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.06.2008 द्वारा अधिनियमित किया गया था। हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 धारा 65 राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यों को प्रदान करती है और उक्त अधिनियम की धारा 68 (ग) पुलिस कर्मियों के खिलाफ गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच के संबंध में जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कार्यों को प्रदान करती है। हाँलािक, उक्त नियम की धारा 65 और 68 (ग) के प्रावधान मामलें के संबंध में मौन है, जहां ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक उपयुक्त न्यायालय में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट दायर की है। उक्त प्रावधान विभिन्न कानूनों के तहत गठित राष्ट्रीय आयोगों और राज्य आयोगों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में भी मौन है। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा शिकायतों पर निर्णय लेने की समय सीमा भी निर्धारित नहीं की गई है। तदनुसार, उक्त नियम के तहत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के उचित कामकाज के लिये हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 में संशोधन के माध्यम से इन प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए, यह विधेयक है।

अनिल विज, गृहमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ :

दिनांक : 9 अगस्त, 2022.

आर० के० नांदल,

सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 9 अगस्त, 2022 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 से उद्धरण।

धारा 65. (1) प्राधिकरण उप पुलिस अधीक्षक की पदवी और ऊपर 65 के पुलिस कार्मिक के विरुद्ध नीचे यथा विस्तृत "गम्भीर कदाचार" के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेगा:—

- (क) पीड़ित या गृहीत शपथ-पत्र पर उसकी ओर से किसी व्यक्ति;
- (ख) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग।

व्याख्या—इस अध्याय के प्रयोजन के लिए ''गम्भीर कदाचार'' से अभिप्राय से होगा पुलिस अधिकारी का कोई कृत अथवा अकृत जो निम्नलिखित की ओर ले जाता है या समझी जाती है—

- (क) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास;
- (ख) पुलिस हिरासत में मृत्यु;
- (ग) घोर उपहति;
- (घ) विधि की सम्यक् प्रक्रिया के बिना हिरासत या निरोध;
- (ड) उददापनः
- (च) प्रपीडन के माध्यम से संपत्ति अर्जित करना;
- (छ) संगठित अपराध से पुलिस कार्मिक का सम्मलित होना;
- (ज) भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) में यथा परिभाषित किसी अपराध में पुलिस कर्मचारी द्वारा निष्क्रियता जिसमें कम से कम दस वर्ष या अधिक की सजा होगी:

परन्तु प्राधिकरण केवल ऐसी गिरफ्तारी या निरोध की शिकायत में जांच करेगा, यदि शिकायत की सत्यता के बारे में इसकी प्रथमदृष्टया संतुष्टि हो जाती है:

परन्तु यह और कि कोई भी गुमनाम, समानार्थक, कृतकनाम शिकायतें ग्रहण नहीं की जाएगी।

धारा 68 (ग) जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कृत्य.— जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण निरीक्षकों की पदवी तक के पुलिस कार्मिक के विरूद्ध गंभीर अवचार के आरोपों की या तो स्वप्रेरणा से या निम्नलिखित में से किसी से शिकायत प्राप्त होने पर जांच करेगा,—

(a)	
(ख)	
2	(i)
	(ii) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग / राज्य मानव
	अधिकार आयोग / राज्य आयोग में लंबित किसी मामले;

(iii) इसकी अभिकथित घटना के एक वर्ष से अधिक के बाद इसी अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी मामले;

9818-H.V.S.-H.G.P..Pkl.